राजस्थान सरकार
वन विभाग

।। कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा।।

(Navapura, Civil Lines Raj Bhawan Road Kota Email ID-dcf.kota.forest@rajasthan.gov.in)
दूरभाष नं0–0744-2322747

क्रमांकः–एफ( )उवसं/तक./ 2022–23/ 189 दिनांकः 28/02/23
निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

विषयः–**land for extension of bhamashah krashi upaj mandi samite Rajasthan.(Proposal No. FP/RJ/others/20036/2016)**

प्रसंगः– आपके पत्राक 928 दिनांक 10.02.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषायांतर्गत निवेदन है कि उक्त संबंध में आप द्वारा लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति कर प्रेषित है–

क्र. स.	आक्षेप	पालना
1	बिन्दु संख्या 1 में वन संरक्षक अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पैरा न01.21 के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट अपेक्षित थी जो सही नही है इसके अलावा प्रकरण में वन संरक्षक अधिनियम के उल्लधंन हेतु दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक सही प्रतीत नही होती है।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा 96 है0 का प्रत्यावर्तित वन भूमि प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया जिसमे से लगभग 22 है0 वन भूमि में उनके प्रस्ताव से पूर्व ही निर्माण कार्य किया जा चुका है। प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा रीको से औद्योगिक क्षेत्र हेतु जमीन आंवटित किया जाना बताया गया जिसके आधार पर उनके द्वारा यह कार्य किया गया। रीको को यह भूमि वन अधिकारी व राजस्व अधिकारीयो ने दी है। राजस्व रिकॉर्ड में भी यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज नही है परन्तु गजट नोटिफिकेसन ने यह भूमि वन भूमि है। इस प्रकार यह प्रकरण मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 पार्ट फस्ट का ए प्रकरण से संम्बधित होना प्रतीत होता है। इस प्रकरण में एफ आई आर न0 56–09 दिनांक 19.09.1996 जारी कि गई है। जिसके क्रम में राजस्थान अधिनियक 1953 के तहत 1. 00 लाख रू का जूर्माना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा करा दिया गया है।
2	बिन्दु संख्या 2 में गैर वन भूमि पर ही जयूलिफ्लोरा उन्मुलन के बाद 1100 पौधे प्रति है0 लगाये जाने की अनुशंषा की है जबकि पूर्व में प्रस्तावित गैर वन भूमि पर पूर्ण पौधे नही लगने के कारण परिभ्रांषित वन भूमि (DFL) पर भी वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया था। अतः गैर वन भूमि पर कितने पौधे लगेगें तथा यदि सभी96000 पौधे गैर वन भूमि पर लगना संभव नही हो तो अवशेष पौधे परिभ्रांषित वन भूमि पर लगाने हेतु योजना/के.एम.एल. संलग्न करे।	गैर वन भूमि पर 400 है0 पर पौधे तथा DFL में 700 पौधे प्रति है0 कि दर से प्रस्तावित किया गया है। प्राक्लन एवं DFL की KML संलग्न है।

3	बिन्दु संख्या 3 में आक्षेप के अनुरूप आपका जवाब अस्पष्ट व अपूर्ण है।	क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट के अनुसार 3314 रमी0 दिवार का नुकसान होना है अतः 3314 रमी0 दिवार की राशि हेतु यूजर एजेन्सी की वचन बद्धता संलग्न कि गई है। पूर्व में प्रेषित 6 किमी नवीन दिवार एवं 2 किमी पूरानी दिवार की राशि की प्रयुक्ता ऐजेन्सी से लिया जाना उचित नही है इस कारण से 3314 रमी0 प्रयुक्ता ऐसेन्सी से वचन बद्धता लेकर संलग्न कर दिया गया है।
4	बिन्दु संख्या 5 में परिभ्राषित वन भूमि **DFL** .हेतु योजना संलग्न करना अंकित किया है जो संलग्न नही है तथा बिन्दु संख्या 2 पर आपके जवाब के विरोधाभासी है।	आक्षेपो की पूर्ति कर दिया गया है एवं परिभ्राषित वन भूमि हेतु योजना का प्राक्कलन संलग्न है
5	बिन्दु संख्या 6 में संलग्न की गयी नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में 3(b) को बोल्ड नही किया गया है तथा स्पष्ट अनुशंषा नही की गई। पुर्व की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में कई शर्ते लगायी गई थी वह भी सम्मिलित नही कि गई है।	आक्षेपो की पूर्ति कर दिया गया है।
6	बिन्दु संख्या 9 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी.ई. सी. में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लिखे गये पत्र की प्रति संलग्न करे।	संलग्न है
7	बिन्दु संख्या 11 का उत्तर अपुर्ण है यदि गैर वन भूमि पर पूर्ण पौधे नही लग पाऐगे तो **DFL**का स्थल उपर्युक्त्ता प्रमाण पत्र भी संलग्न करे।	आक्षेपो की पूर्ति कर दिया गया है।
8	बिन्दु संख्या 12 में प्रकरण में 1998 एफ.आई.आर काटा जाना उल्लेखित है जबकि आपके बिन्दु संख्या 1 के प्रत्युत्तर में 1996 की एफ.आई.आर. को कम्पाउण्ड करने का उल्लेख है स्थिति स्पष्ट करें।	एफ आई आर 56–09 दिनांक 19.09.1996 है तथा सहवन से 1998 उल्लेखित हो गया है।

उप वन संरक्षक
कोटा